[2019] 1 उम. नि. प. 233

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

बनाम

तसनीम रिज़वान सिद्दीकी

5 सितम्बर, 2018

मुख्य न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति (डा.) डी. वाई. चन्द्रचूड़

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 32 – बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट – जब कोई निरुद्ध व्यक्ति किसी अन्वेषणाधीन दांडिक मामले के संबंध में किसी सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित विधिपूर्ण प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसरण में न्यायिक अभिरक्षा में हो तब बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए आवेदन कायम रखे जाने योग्य नहीं होगा ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 – उच्च न्यायालय द्वारा अन्वेषक अधिकारी के विरुद्ध कटु टिप्पणियां करना – उच्च न्यायालय द्वारा किसी दांडिक मामले के अन्वेषक अधिकारी के विरुद्ध, उसे शपथपत्र पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना, की गई कटु टिप्पणियां हटाए जाने योग्य हैं ।

पुलिस को तारीख 24 जनवरी, 2018 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकेश पांडियान नामक एक व्यक्ति, जो कि एक प्राइवेट जासूस है, विभिन्न लोगों के कॉल विवरण प्राप्त कर रहा था और उन्हें बड़ी धनराशि के बदले बेच रहा था । पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वोडाफोन कंपनी के कॉल विवरण मांगे । उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66, 72 और 72(क) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I - 31/18 फाइल की गई थी । अन्वेषण के दौरान भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 26 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 171, 467, 468 और 120ख के अधीन अतिरिक्त अपराध जोड़े गए थे । इसके बाद, पुलिस ने प्रशांत पालेकर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल में विभिन्न मोबाइल बातचीत (चैट) पाई गई, जिसमें रिज़वान आलम सिद्दीकी (इस मामले में प्रत्यर्थी का पति) और अन्य व्यक्तियों की बातचीत भी शामिल थी । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए

रिज़वान आलम सिद्दीकी और प्रशांत पालेकर के बीच हुई बातचीत संबंधी अभिलेख से यह प्रकट होता था कि रिज़वान आलम सिद्दीकी ने प्रशांत पालेकर से नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी नामक व्यक्ति की पत्नी के कॉल विवरण की मांग की थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि रिज़वान आलम सिद्दीकी अपराध कारित किए जाने में अंतर्वलित था । परिणामस्वरूप, रिज़वान आलम सिद्दीकी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन तारीख 14 फरवरी, 2018 को एक सूचना जारी की गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में उसने पुलिस को यह सूचित किया कि वह 21 फरवरी, 2018 तक यात्रा पर रहेगा और पुलिस के समक्ष तारीख 22 फरवरी, 2018 को उपस्थित होगा । वह अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए तारीख 23 फरवरी, 2018 को पुलिस थाने गया । जैसे ही अन्वेषण प्रक्रिया आगे बढ़ी, अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिज़वान आलम सिद्दीकी का उपस्थित होना आवश्यक पाया गया और इसलिए उसने तारीख 15 मार्च, 2018 को उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर उससे संपर्क करने का प्रयत्न किया । रिज़वान आलम सिद्दीकी ने उक्त संदेशों का उत्तर दिया और उसने अन्वेषण में भाग लेने में अपनी इच्छा दर्शाई । तथापि, अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, उसने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया और इसी कारण पुलिस ने अत्यंत सावधानी बरतते हुए, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के अधीन तारीख 16 मार्च, 2018 को सूचना जारी की और इस सूचना की तामील करने का प्रयास किया गया किन्तु रिज़वान आलम सिद्दीकी ने उक्त सूचना की तामील करने से इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त, जब अन्वेषक अधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ रिज़वान आलम सिद्दीकी के परिसर में उक्त सूचना की तामील करने गया तो यह पाया कि रिज़वान आलम सिद्दीकी अपने मोबाइल फोन तथा अपने लैपटाप में से साक्ष्य को नष्ट कर रहा था और इसलिए अन्वेषक अधिकारी ने निकटतम पुलिस थाने की सहायता लेकर उसे गिरफ्तार करने का विवेकपूर्ण विनिश्चय लिया । उसकी गिरफ्तारी के पश्चात्, उसे तारीख 17 मार्च, 2018 को कानूनी अवधि के भीतर अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया । अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने पुलिस प्रतिप्रेषण संबंधी अपना समाधान लेखबद्ध करने के पश्चात् तारीख 23 मार्च, 2018 तक रिज़वान आलम सिद्दीकी की पुलिस अभिरक्षा प्रदान की । तथापि, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में समावेदन किया और एक रिट याचिका फाइल की जिसमें अपीलार्थियों को (जो कि रिट याचिका में प्रत्यर्थी थे) यह निदेश देने की प्रार्थना की गई कि उसके पति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और उसके निरोध

को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायोचित ठहराया जाए । इसके अतिरिक्त, उसके पति रिज़वान आलम सिद्दीकी को स्वतंत्र करने के अनुतोष का दावा किया गया । खंड न्यायपीठ ने प्रत्यर्थी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि रिज़वान आलम सिद्दीकी को तुरंत रिहा किया जाए । उच्च न्यायालय ने, इसके साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कटु मताभिव्यक्तियां कीं । अपीलार्थियों ने इस विनिश्चय से व्यथित होकर दो आधारों पर प्रस्तुत अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, जब प्रत्यर्थी द्वारा तारीख बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए रिट याचिका फाइल की गई थी और जिसका उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 2018 को विनिश्चय किया गया था तब उसका पति रिज़वान आलम सिद्दीकी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I-31 के संबंध में तारीख 17 मार्च, 2018 को पारित आदेश के अनुसरण में पुलिस अभिरक्षा में था और वह पुलिस प्रतिप्रेषण 23 मार्च, 2018 तक पूरा होना था । इसके अलावा, मजिस्ट्रेट के कथित आदेश को चुनौती दिए बिना एक रिट याचिका फाइल की गई थी, जो बन्दी-प्रत्यक्षीकरण के अनुतोष तक सीमित थी । मामले को इस दृष्टि से देखने पर, यह लगातार अवैध निरोध का मामला नहीं था बल्कि वह व्यक्ति अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक ऐसे आदेश के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में था जो कि प्रवर्तन में था, जिसमें किसी दांडिक मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस प्रतिप्रेषण प्रदान किया गया था । परिणामस्वरूप, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी । (पैरा 9)

उच्च न्यायालय को पुलिस उपायुक्त की ओर से किए गए इस निवेदन से अप्रसन्न नहीं होना चाहिए था कि प्रत्यर्थी के पति को तभी रिहा किया जा सकता है यदि न्यायालय द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है । पुलिस उपायुक्त के पास ऐसा निवेदन करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि वह अभियुक्त को, जो कि एक प्रवर्तनशील न्यायिक आदेश के अनुसरण में पुलिस अभिरक्षा में था, स्वेच्छया रिहा नहीं कर सकता था । उच्च न्यायालय को अन्वेषक अधिकारी के विरुद्ध भी, उसे शपथपत्र पर अपना स्पष्टीकरण पेश करने का अवसर दिए बिना कटु टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थीं । (पैरा 10)

चूंकि प्रस्तुत मामले की तथ्यात्मक स्थिति में बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी इसलिए उच्च न्यायालय को

मजिस्ट्रेट द्वारा 23 मार्च, 2018 तक पुलिस अभिरक्षा मंजूर करते हुए पारित किए गए न्यायिक आदेश को कोई चुनौती दिए जाने के अभाव में और विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के उस आदेश में उल्लिखित कारणों से, गिरफ्तारी के गुणागुण की परीक्षा करने से विमुख रहना चाहिए था । तद्नुसार, न्यायालय को प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर आक्षेपित निर्णय के पैरा 4 से 6 में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है । (पैरा 11)

चूंकि प्रत्यर्थी के पति रिज़वान आलम सिद्दीकी को आक्षेपित निर्णय के पश्चात् पहले ही रिहा कर दिया गया है इसलिए अन्वेषक अधिकारी उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I -31/2018 के रूप में रजिस्ट्रीकृत कथित अपराध के संबंध में विधि के अनुसार न कि इस कारण कार्यवाही कर सकेगा कि क्योंकि आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है । इस निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि प्रत्यर्थी के पति की दोषिता या अन्यथा के संबंध में या उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की शुद्धता के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त की गई है । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2014]	(2014) 13 एस. सी. सी. 436 : **सौरभ कुमार, अपने पिता की मार्फत** बनाम **जेलर, कोनेला जेल और एक अन्य** ;	9
[2013]	(2013) 1 एस. सी. सी. 314 : **मनुभाई रतीलाल पटेल** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य** ;	9
[2004]	(2004) 5 एस. सी. सी. 729 : **राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया और अन्य** बनाम **एन. एम. टी. जॉय इम्माकुलेट** ।	11

दांडिक अपीली अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 1124.

2018 की रिट याचिका सं. 1353 में बाम्बे उच्च न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से श्री निशांत रमाकांत राव कटनेश्वरकर

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सी. ए. सुन्दरम्, ज्येष्ठ अधिवक्ता, निखिल सिंघवी कनक बोस और अभिषेक गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर ने दिया ।

न्या. खानविलकर – इजाजत दी जाती है ।

2. अपीलार्थियों ने 2018 की रिट याचिका सं. 1353 में बाम्बे उच्च न्यायालय के तारीख 21 मार्च, 2018 के उस विनिश्चय को चुनौती दी है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थियों को यह निदेश देने वाली बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए फाइल की गई रिट याचिका मंजूर की थी कि वे उसके पति को, जिसे प्रत्यर्थी के अनुसार पुलिस द्वारा 2018 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I-31 के संबंध में अवैध या अविधिपूर्ण रूप में निरुद्ध किया गया था, पेश करें ।

3. उच्च न्यायालय के विनिश्चय को आवश्यक रूप से दो आधारों पर चुनौती दी गई है । प्रथमतः, ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत, जो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषण के आदेश के अनुसरण में किसी अन्वेषणाधीन दांडिक मामले के संबंध में पुलिस अभिरक्षा में था, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी । द्वितीयतः, उच्च न्यायालय को हर हालत में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध कटु मताभिव्यक्तियां करने से प्रवरित रहना चाहिए था और उक्त टिप्पणियों को हटा दिया जाना चाहिए ।

4. संक्षेप में, वे तथ्य, जिनके परिणामस्वरूप यह अपील फाइल की गई है, ये हैं कि स्थानीय पुलिस को तारीख 24 जनवरी, 2018 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकेश पांडियान नामक एक व्यक्ति, जो कि एक प्राइवेट जासूस है, विभिन्न लोगों के कॉल विवरण प्राप्त कर रहा था और उन्हें बड़ी धनराशि के बदले बेच रहा था । पुलिस ने मुकेश पांडियान को गिरफ्तार किया और वोडाफोन कंपनी के कॉल विवरण मांगे । मुकेश पांडियान के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66, 72 और 72(क) के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I-31/18 फाइल की गई थी । अन्वेषण के दौरान भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 26 और भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 171, 467, 468 और 120ख के अधीन अतिरिक्त अपराध जोड़े गए थे । इसके बाद, पुलिस ने प्रशांत

पालेकर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल में विभिन्न मोबाइल बातचीत (चैट) पाई गई, जिसमें रिज़वान आलम सिद्दीकी (इस मामले में प्रत्यर्थी का पति) और अन्य व्यक्तियों की बातचीत भी शामिल थी । पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान एकत्र किए गए रिज़वान आलम सिद्दीकी और प्रशांत पालेकर के बीच हुई बातचीत संबंधी अभिलेख से यह प्रकट होता था कि रिज़वान आलम सिद्दीकी ने प्रशांत पालेकर से नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी नामक व्यक्ति की पत्नी के कॉल विवरण की मांग की थी, जिससे यह संकेत मिलता था कि रिज़वान आलम सिद्दीकी अपराध कारित किए जाने में अंतर्वलित था । परिणामस्वरूप, रिज़वान आलम सिद्दीकी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अधीन तारीख 14 फरवरी, 2018 को एक सूचना जारी की गई थी, जिसके प्रत्युत्तर में उसने पुलिस को यह सूचित किया कि वह 21 फरवरी, 2018 तक यात्रा पर रहेगा और पुलिस के समक्ष तारीख 22 फरवरी, 2018 को उपस्थित होगा । जैसा कि आश्वासन दिया गया था, रिज़वान आलम सिद्दीकी अपना कथन अभिलिखित कराने के लिए तारीख 23 फरवरी, 2018 को पुलिस थाने गया । जैसे ही अन्वेषण प्रक्रिया आगे बढ़ी, अन्वेषक अधिकारी द्वारा रिज़वान आलम सिद्दीकी का उपस्थित होना आवश्यक पाया गया और इसलिए उसने तारीख 15 मार्च, 2018 को उसके मोबाइल फोन पर संदेश भेजकर उससे संपर्क करने का प्रयत्न किया । रिज़वान आलम सिद्दीकी ने उक्त संदेशों का उत्तर दिया और उसने अन्वेषण में भाग लेने में अपनी इच्छा दर्शाई । तथापि, अन्वेषक अधिकारी के अनुसार, उसने पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया और इसी कारण पुलिस ने अत्यंत सावधानी बरतते हुए, उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के अधीन तारीख 16 मार्च, 2018 को सूचना जारी की और इस सूचना की तामील करने का प्रयास किया गया किन्तु रिज़वान आलम सिद्दीकी ने उक्त सूचना की तामील करने से इनकार कर दिया । इसके अतिरिक्त, जब अन्वेषक अधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ रिज़वान आलम सिद्दीकी के परिसर में उक्त सूचना की तामील करने गया तो यह पाया कि रिज़वान आलम सिद्दीकी अपने मोबाइल फोन तथा अपने लैपटाप में से साक्ष्य को नष्ट कर रहा था और इसलिए अन्वेषक अधिकारी ने निकटतम पुलिस थाना, अर्थात्, वरसोवा पुलिस थाने की सहायता लेकर उसे गिरफ्तार करने का विवेकपूर्ण विनिश्चय लिया । उसकी गिरफ्तारी के पश्चात्, उसे तारीख 17 मार्च, 2018 को कानूनी अवधि के भीतर अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया । अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट ने पुलिस प्रतिप्रेषण संबंधी अपना समाधान लेखबद्ध करने के

पश्चात् तारीख 23 मार्च, 2018 तक रिज़वान आलम सिद्दीकी की पुलिस अभिरक्षा प्रदान की ।

5. तथापि, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में समावेदन किया और तारीख 18/19 मार्च, 2018 को 2018 की रिट याचिका सं. 1353 फाइल की जिसमें अपीलार्थियों को (जो कि रिट याचिका में प्रत्यर्थी थे) यह निदेश देने की प्रार्थना की गई कि उसके पति को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए और उसके निरोध को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायोचित ठहराया जाए । इसके अतिरिक्त, उसके पति रिज़वान आलम सिद्दीकी को स्वतंत्र करने के अनुतोष का दावा किया गया । रिट याचिका तारीख 20 मार्च, 2018 को फाइल की गई जब कि न्यायालय ने अपने आदेश में निम्नलिखित रूप में अभिलिखित किया :–

> "4. श्री मर्चेंट ने यह दलील दी कि जब एक बार यह सूचना जारी कर दी गई है तब उपधारा (1) के निबंधनानुसार, पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि याची के पति की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है और यह मामला धारा 41 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत आता है । इसलिए, उसने सूचना जारी की थी, जिसमें याची के पति को उसके समक्ष उस स्थान पर, जो कि उस सूचना में विनिर्दिष्ट है, उपस्थित होने का निदेश दिया गया था ।
>
> 5. तथ्यात्मक तर्क यह था कि यह सूचना तारीख 16 मार्च, 2018 की है और इसमें याची के पति को इस सूचना पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के समक्ष तारीख 17 मार्च, 2018 को उपसंजात होने के लिए सूचित किया गया है । श्री मर्चेंट ने यह दलील दी कि धारा 41क की उपधारा (2) में ऐसी सूचना जारी किया जाना अनुध्यात है किन्तु ऐसे वाक्यांश का अर्थान्वयन 'सूचना की तामील या निष्पादन' के रूप में करना होगा अन्यथा उपधारा (1) निरर्थक हो जाएगी । अतः, जब तक वह व्यक्ति सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल नहीं रहता या अपनी शनाख्त कराने में अनिच्छुक नहीं होता तब तक पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो सक्षम न्यायालय द्वारा इस निमित्त पारित किए जाएं, उसे सूचना में वर्णित अपराध के लिए गिरफ्तार करने में असमर्थ होगा । यदि याची के पति द्वारा सूचना का अनुपालन किया गया था तो श्री मर्चेंट के अनुसार, ऐसी याचिका को प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न उद्भूत

नहीं होता है किन्तु प्रत्यर्थियों का यह प्राख्यान है कि जब उन्होंने याची के पति को यह सूचना तामील करने की ईप्सा की तो उसने उससे इनकार कर दिया । इसी प्रकार पंचनामा तैयार किया गया है ।

6. चूंकि याचिका के अभिवचनों के आधार पर श्री मर्चेंट का यह कथन है कि एक पंचनामा तैयार किया गया था और उसकी एक प्रति पेपर-बुक के पृष्ठ 41 और 42 पर है, इसलिए हमने उसका सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है । यह मराठी भाषा में है ।

7. संपूर्ण पंचनामा का परिशीलन विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्री याज्ञनिक की सहायता से किया गया था, जो कि अपनी समस्त प्रभावपूर्ण योग्यता के अनुसार उसमें इस आशय के किसी वाक्य का पता नहीं लगा सका कि याची के पति ने इस सूचना को तब स्वीकार करने से इनकार किया था जब यह सूचना उसे उसके कार्य-स्थल/कार्यालय में तामील कराई गई थी । इन परिस्थितियों में और विशेष रूप से जबकि पृष्ठ 42 पर विद्यमान सूचना पर भी पंचों और ज्येष्ठ पुलिस निरीक्षक के हस्ताक्षरों के नीचे अभियुक्त के हस्ताक्षर भी हैं, तब क्या वे हस्ताक्षर सूचना को अभिस्वीकार करने और उसकी प्राप्ति के लिए हैं या वे हस्ताक्षर, जैसा कि श्री याज्ञनिक द्वारा अब न्यायालय के समक्ष कथन किया गया है, उसे स्वीकार करने से इनकार करने पर जोर देने के लिए हैं । जब पंचनामे में ऐसा कोई कथन विद्यमान नहीं है तो हम प्रथमदृष्ट्या श्री याज्ञनिक से सहमत होने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं ।

8. तथापि, श्री याज्ञनिक ने ऐसा समकालीन अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान करने की प्रार्थना की, जिससे उसके अनुसार यह उपदर्शित होगा कि सूचना प्राप्तिकर्ता/याची के पति ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क की उपधारा (1) के अधीन निरूपित और शैलीबद्ध सूचना को स्वीकार करने से इनकार किया था । इस बारे में प्रश्न करने पर कि मूल अभिलेख या समकालीन अभिलेख कहां है, श्री याज्ञनिक का उत्तर यह है कि आज विधान सभा के चालू सत्र में एक प्रश्न पूछा गया है और संबंधित मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया जाना है तथा उन्होंने मूल दस्तावेज़ों की अपेक्षा की है तथा अधिकारी को विधान सभा सचिवालय में उपस्थित रहना है । इसी कारण, संपूर्ण अभिलेख विधान सभा सचिवालय में भेजा

गया है । इसलिए, श्री याज्ञनिक ने कल तक समय प्रदान करने की ईप्सा की है, जो कि 21 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक की है । हम श्री याज्ञनिक को ऐसा अभिलेख प्रस्तुत करने और न्यायालय के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ही इस मामले को कल, तारीख 21 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित करते हैं, अन्यथा विधि के अनुसार इसके समस्त परिणाम भुगतने होंगे ।

9. श्री याज्ञनिक को यह अवसर केवल इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि पृष्ठ 41 और 42 पर विद्यमान दस्तावेज़ से यह द्योतित होता है कि न केवल याची का पति अपने कार्यालय में उपस्थित था बल्कि उसने और उसके कर्मचारिवृन्द ने उसके ईमेल आई.डी., मोबाइल और संबद्ध जानकारी से संबंधित वस्तुएं और विवरण सौंपे थे । पंचनामे में यह अभिलिखित है कि उसे तैयार करने का काम तारीख 16 मार्च, 2018 को 20.10 बजे प्रारंभ हुआ था और 22.10 बजे पूरा हुआ था ।

10. तारीख 21 मार्च, 2018 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित ।"

6. यह मामला तारीख 21 मार्च, 2018 को पुनःसूचीबद्ध किया गया था जबकि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेख का परिशीलन किया, जिसके अंतर्गत पुलिस डायरी में की गई प्रविष्टि, प्रतिप्रेषण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ें भी हैं । उसने यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त अभिलेख से यह दर्शित नहीं होता था कि रिज़वान आलम सिद्दीकी को गिरफ्तार करने से पूर्व विधि की आज्ञा का आवश्यक अनुपालन किया गया था । खंड न्यायपीठ ने वह निष्कर्ष लेखबद्ध करने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया कि ऐसी गिरफ्तारी से संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन गारंटीकृत मूल्यवान अधिकार का अतिलंघन हुआ है और इसलिए उसने प्रत्यर्थी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया कि रिज़वान आलम सिद्दीकी को तुरंत रिहा किया जाए । उच्च न्यायालय ने, इसके साथ-साथ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कटु मताभिव्यक्तियां कीं, जो आक्षेपित निर्णय के पैरा 4 से 6 में अभिलिखित हैं, जो कि निम्नलिखित रूप में हैं :–

"4. आज हुई संक्षिप्त सुनवाई के परिणामस्वरूप सुश्री पई ने पुलिस उपायुक्त से बात करने के पश्चात् अनुदेश लेने के लिए समय की ईप्सा की । उसके अनुरोध पर, मामले की सुनवाई 1.00 बजे

अपराह्न में की गई और जब मामला प्रस्तुत किया गया तो पुलिस उपायुक्त से अनुदेश प्राप्त करने पर, जो कि न्यायालय में उपस्थित हैं, यह कहा गया है कि उक्त उपायुक्त को याची को रिहा करने के संबंध में कोई आक्षेप नहीं है, यदि इस न्यायालय द्वारा ऐसा निदेश दिया जाता है ।

5. जब हमने, अपने पूर्ववर्ती आदेश के निबंधनानुसार और आज की सुनवाई के दौरान यह पाया कि वह कोई कथन करके इस न्यायालय को आबद्ध नहीं कर कहा है तब उसे यह मान लेना चाहिए कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया है और वह याची के पति को अभिरक्षा से रिहा करने के लिए स्वेच्छया कार्यवाही करेगा । इस पुलिस अधिकारी से यही प्रत्याशा थी और यदि उसने वास्तव में और सद्भावपूर्वक क्षमायाचना की होती और याची के पति को रिहा करने के लिए समय की मांग की होती तो हमने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का निदेश न दिया होता । तथापि, वह अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि यह न्यायालय यह कहता है कि याची के पति को रिहा किया जाना चाहिए तो उसे केवल तभी ऐसी रिहाई के संबंध में कोई आक्षेप नहीं होगा । वह अब मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई कार्यवाहियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसके द्वारा, उसके अनुसार, उसे याची के पति को 23 मार्च, 2018 तक अभिरक्षा में निरुद्ध करने की अनुज्ञा दी गई थी ।

6. हम यह नहीं समझते कि डायरी में की गई प्रविष्टियों या प्रतिप्रेषण कार्यवाहियों से कोई सहायता प्राप्त की जा सकती है । हम यह नहीं समझते कि मजिस्ट्रेट का वह आदेश, जिसके द्वारा याची के पति को 23 मार्च, 2018 तक प्रतिप्रेषण में भेजा गया था, इस न्यायालय को आबद्ध कर सकता है और यदि संबंधित न्यायिक अधिकारी की जानकारी में सही और सत्य तथ्य लाए गए होते तो संभवतः उसने पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर वह आदेश पारित न किया होता । इसलिए, जबकि हम यह अभिनिर्धारित करने के पश्चात् कि याची के पति को अविधिपूर्ण रूप से निरुद्ध किया गया था, उसे तुरंत अभिरक्षा से निर्मुक्त करने का निदेश देते हैं, हम वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों, विशेष रूप से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कृत्यकारियों को यह भी निदेश देते हैं कि अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ की जाएं और याची और उसका पति इस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कानून को अपने हाथों में लेने के कारण सिविल वाद फाइल

कर सकेगा और दांडिक अभियोजन चला सकेगा । ऐसा अभियोजन, ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों से प्रभावित हुए बिना चलता रहेगा, जो कि याची के पति के विरुद्ध विधि का अतिक्रमण करने के लिए आरंभ की जाएं ।"

7. अपीलार्थियों ने इस विनिश्चय से व्यथित होकर, जैसा कि ऊपर पैरा 3 में उपदर्शित किया गया है, दो आधारों पर प्रस्तुत अपील फाइल की है । दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि इस अपील में कोई सार नहीं है । हमारी जानकारी में यह बात भी लाई गई है कि आक्षेपित निर्णय के पश्चात् रिज़वान आलम सिद्दीकी को पहले ही रिहा किया जा चुका है । अपीलार्थियों के काउन्सेल ने इस निवेदन के प्रत्युत्तर में यह दलील दी है कि अपीलार्थी उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई कटु टिप्पणियों से अधिक चिंतित हैं और उन्हें तब अधिक संतोष होगा यदि पुलिस को उक्त रिज़वान आलम सिद्दीकी के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है ।

8. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउन्सेल श्री निशांत रमाकांत राव कटनेश्वरकर और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउन्सेल श्री सी. ए. सुन्दरम् की सुनवाई की है ।

9. इस प्रश्न पर कि किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत, जो अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषणाधीन अपराध के संबंध में पारित प्रतिप्रेषण आदेश के अनुसरण में पुलिस अभिरक्षा में है, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट कायम रखी जा सकती है अथवा नहीं, **सौरभ कुमार, अपने पिता की मार्फत** बनाम **जेलर, कोनेला जेल और एक अन्य**[1] और **मनुभाई रतीलाल पटेल** बनाम **गुजरात राज्य और अन्य**[2] वाले मामलों में विचार किया गया था । अब यह प्रश्न अनिर्णीत नहीं रहा है । प्रस्तुत मामले में, स्वीकृततः, जब प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 18/19 मार्च, 2018 को बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए रिट याचिका फाइल की गई थी और जिसका उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 2018 को विनिश्चय किया गया था तब उसका पति रिज़वान आलम सिद्दीकी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I-31 के संबंध में तारीख 17 मार्च, 2018 को पारित आदेश के

---

[1] (2014) 13 एस. सी. सी. 436.

[2] (2013) 1 एस. सी. सी. 314.

अनुसरण में पुलिस अभिरक्षा में था और वह पुलिस प्रतिप्रेषण 23 मार्च, 2018 तक पूरा होना था । इसके अलावा, मजिस्ट्रेट के कथित आदेश को चुनौती दिए बिना एक रिट याचिका फाइल की गई थी, जो बन्दी-प्रत्यक्षीकरण के अनुतोष तक सीमित थी । मामले को इस दृष्टि से देखने पर, यह लगातार अवैध निरोध का मामला नहीं था बल्कि वह व्यक्ति अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक ऐसे आदेश के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में था जो कि प्रवर्तन में था, जिसमें किसी दांडिक मामले के अन्वेषण के दौरान पुलिस प्रतिप्रेषण प्रदान किया गया था । परिणामस्वरूप, बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी ।

10. आक्षेपित निर्णय में, विशेष रूप से इससे पूर्व उद्धृत पैरा 4 से 6 में की गई कटु टिप्पणियों को हटाने के लिए की गई प्रार्थना पर विचार करने पर यह निवेदन किया गया है कि उक्त टिप्पणियां पूर्णतः अनपेक्षित थीं क्योंकि संबंधित पुलिस उपायुक्त, जो कि न्यायालय में उपस्थित थे, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उस न्यायिक आदेश के प्रतिकूल जिसके द्वारा 23 मार्च, 2018 तक पुलिस प्रतिप्रेषण का निदेश दिया गया था, रिज़वान आलम सिद्दीकी को रिहा करने के संबंध में रियायत नहीं दे सकते थे । इसके अतिरिक्त, यह प्रत्यक्ष है कि उच्च न्यायालय ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को शपथपत्र पर तथ्यात्मक स्थिति को स्पष्ट करने का किसी भी प्रकार का अवसर दिए बिना ये टिप्पणियां की थीं । रिट याचिका 18/19 मार्च, 2018 को फाइल की गई थी और वह 20 मार्च, 2018 को प्रस्तुत की गई थी जब कि न्यायालय ने अपीलार्थियों के अधिवक्ता से अगले दिन, अर्थात्, 21 मार्च, 2018 को अभिलेख प्रस्तुत करने की अपेक्षा की । आक्षेपित आदेश, इस बात के होते हुए भी कि प्रतिप्रेषण संबंधी न्यायिक आदेश 23 मार्च, 2018 तक प्रवर्तन में है, तारीख 21 मार्च, 2018 को पारित किया गया । हमारी राय में, उच्च न्यायालय को पुलिस उपायुक्त की ओर से किए गए इस निवेदन से अप्रसन्न नहीं होना चाहिए था कि प्रत्यर्थी के पति को तभी रिहा किया जा सकता है यदि न्यायालय द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है । जैसा कि ऊपर कहा गया है, पुलिस उपायुक्त के पास ऐसा निवेदन करने के सिवाय कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि वह अभियुक्त को, जो कि एक प्रवर्तनशील न्यायिक आदेश के अनुसरण में पुलिस अभिरक्षा में था, स्वेच्छया रिहा नहीं कर सकता था । उच्च न्यायालय को अन्वेषक अधिकारी के विरुद्ध भी, उसे शपथपत्र पर अपना स्पष्टीकरण पेश करने का अवसर दिए बिना कटु टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थीं ।

11. यह मताभिव्यक्ति करना पर्याप्त है कि चूंकि प्रस्तुत मामले की तथ्यात्मक स्थिति में बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी इसलिए उच्च न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा 23 मार्च, 2018 तक पुलिस अभिरक्षा मंजूर करते हुए पारित किए गए न्यायिक आदेश को कोई चुनौती दिए जाने के अभाव में और विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के उस आदेश में उल्लिखित कारणों से, गिरफ्तारी के गुणागुण की परीक्षा करने से विमुख रहना चाहिए था । इस न्यायालय ने **राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक द्वारा किया गया और अन्य** बनाम **एन. एम. टी. जॉय इम्माकुलेट**[1] वाले मामले में किंचित समरूप स्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा अन्वेषक अधिकारी के विरुद्ध और उनके द्वारा किए गए अन्वेषण के बारे में अपमानजनक और कठोर टिप्पणियां करने की निन्दा की थी । तद्नुसार, हमें प्रस्तुत मामले के तथ्यों के आधार पर आक्षेपित निर्णय के पैरा 4 से 6 में संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध की गई टिप्पणियों को हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ।

12. जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, हालांकि यह अपील सफल होती है, चूंकि प्रत्यर्थी के पति रिज़वान आलम सिद्दीकी को आक्षेपित निर्णय के पश्चात् पहले ही रिहा कर दिया गया है इसलिए अन्वेषक अधिकारी उसके विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. I-31/2018 के रूप में रजिस्ट्रीकृत कथित अपराध के संबंध में विधि के अनुसार न कि इस कारण कार्यवाही कर सकेगा कि क्योंकि आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया गया है । हमारे इस निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकेगा कि हमने प्रत्यर्थी के पति की दोषिता या अन्यथा के संबंध में या उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की शुद्धता के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त की है ।

13. तद्नुसार, यह अपील ऊपर उल्लिखित निबंधनों में मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

ग्रो.

---

[1] (2004) 5 एस. सी. सी. 729.